वित्तीय स्वीकृति

संख्या-4/2016/2863/52-3-2015-सा(2)/2015(बागपत)

प्रेषक,

मो0 शफ़कत कमाल
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक ,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2016

विषयः-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद बागपत में बालक व बालिकाओं हेतु एक -एक माॅडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिये वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-2589/52-3-14-बजट (01)/2014 दिनांक 20.11.2014 द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजना लागू करते हुये योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 20 चयनित जनपदों में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक -पृथक एक -एक माॅडल इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना अपेक्षित है।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी बागपत द्वारा जनपद बागपत में बालक व बालिकाओं हेतु पृथक -पृथक मा ॅल इण्टर कालेज की स्थापना के लिए निम्नप्रकार भूमि का अधिग्रहण किया गया है:-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	विकास खण्ड	स्थान	खसरा नं0	भूमि व उपलब्धता (हेक्टेयर में)
1	माडल इण्टर काले बालक	पिलाना	ग्राम मुकारी	खसरा नं0 - 605 रकबा 0.5690 हेक्टेयर	0.500 हेक्टेयर

http://shasanadesh.up.nic.in

2	माडल इण्टर काले बालिका।	छपरौली।	ग्राम ट	खसरा नं0 - 317 रकबा 1.009 हेक्टेयर	0.500 हेक्टेयर

3. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हृज की स्थापना हेतु रू0 70,00,00,000/- (रू0 सत्तर करोड़ मात्र) का पूंजीगत आय व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। जनपद बागपत में जिलाधिकारी बागपत द्वारा अधिग्रहीत की गयी उक्त भूमि पर बालक व बालिकाओं हेतु पृथक -पृथक मा ॅडल इण्टर कालेज के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु सी)एण्ड डी0एस0 (कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 लखनऊ) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये तथा प्रत्येक माडल इण्टर कालेज के लिए रू0 03,02,00,000/-(रू0 तीन करोड़ दो लाख मात्र) की निर्माण लागत अनुमोदित करते हुये प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक के लिए रू0 01,51,00,000/-(रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख मा) अर्थात कुल रू0 03,02,00,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(प) मा ॅडल इण्टर कालेज के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जिलाधिकारी बागपत के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिसे उनके द्वारा शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0 डी0एस0 को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(पप) मा ॅडल इण्टर कालेजों का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जायेगा।

(पपप) निर्माण कार्य हेतु एक समय सीमा निर्धारित की जोयगी तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(पअ) प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपभोग तथा कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त अवुमक्त की जोयगी।

4. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हृब की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। ।

5. यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी 1-925/ दस -2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

(मो । शफ़कत
कमाल)

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

संख्या-2863 (1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद]
2- महालेखाकार। (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद]
3- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
4- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, शासन।
5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बागपत।
6- जिलाविद्यालय निरीक्षक, बागपत।
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बागपत।
8- निदेशक, उ0प्र0 सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0।
9- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (ई-11) अनुभाग/नियोजन-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(03 प्रतियों में)/बजट सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in